भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 3907
दिनांक 11.08.2026 को उत्तरार्थ

अल नीनो और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में तैयारी

3907. **श्री रमाशंकर बिद्यार्थी राजभरः**

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अल नीनो की संभावित स्थिति को देखते हुए खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए आपातकालीन उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत बीमा दावों के निपटान में लिया गया औसत समय कितना है;

(ग) देवरिया, बलिया और पूर्वांचल के वर्षा-सिंचित किसानों के लिए प्रस्तावित विशेष राहत पैकेज का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): सरकार द्वारा 28-29 मई 2026 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन में अल नीनो की संभावित स्थिति के प्रभाव सहित खरीफ मौसम की तैयारियों की समीक्षा की गई। सम्मेलन में फसल योजना, बीज और उर्वरक की उपलब्धता, जल प्रबंधन और क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों की समीक्षा की गई और राज्यों को समय पर महत्वपूर्ण इनपुट की उपलब्धता, कुशल जल प्रबंधन, मौसम की स्थिति की निरंतर निगरानी, किसानों को एडवाईजरी के प्रसार और आईएमडी, आईसीएआर और राज्य सरकारों के समन्वय से आकस्मिक उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से तैयारियों को मजबूत करने की सलाह दी गई। इसके अतिरिक्त, सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i.आईसीएआर के केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-सीआरआईडीए) ने राज्यों के साथ परामर्श करके सामान्य से कम वर्षा की संभावना वाले 15 राज्यों के 342 जिलों के लिए जिला कृषि आकस्मिक योजना (डीएसीपी) को अद्यतन किया है। इसके अतिरिक्त, आईसीएआर ने कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के लिए अल नीनो से संबंधित जोखिमों को कम करने हेतु मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) भी जारी की हैं।

ii. वर्षा की स्थिति, जलाशय भंडारण, भूजल स्तर, फसल की बुआई, इनपुट की उपलब्धता, बाजार की स्थिति और समय पर इंटर्वेंशन के लिए कीट/रोगों के प्रकोप की समीक्षा करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर - सीआरआईडीए), उर्वरक विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ फसल मौसम निगरानी समूह (सीडब्ल्यूडब्ल्यूजी) की साप्ताहिक बैठक की जा रही है। दिनांक 27.04.2026 को सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अध्यक्षता में राज्य कृषि सचिवों और रिलीफ कमिश्नरों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीज, चारा, पेयजल एवं सिंचाई जल, उर्वरक जैसे इनपुट की उपलब्धता और सामान्य तैयारियों की समीक्षा की गई। इसके अलावा, मानसून के लिए तैयारियों का आकलन और सुदृढ़ीकरण करने के लिए दिनांक 17.06.2026 को संकट प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित की गई थी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी 19 जून 2026 को अल नीनो की संभावित स्थिति के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली सामान्य से कम वर्षा की स्थिति हेतु तैयारियों की समीक्षा की है। 23 जून 2026 को माननीय कृषि मंत्री, भारत सरकार द्वारा अल नीनो की स्थिति के मद्देनजर खरीफ की तैयारियों के लिए राज्य कृषि मंत्रियों के साथ स्थिति की समीक्षा की गई है।

iii. बीजों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, और राज्यों की 172.80 लाख क्विंटल की मांग की तुलना में खरीफ फसलों के 192.25 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध हैं। राज्यों ने 1% बीज अर्थात 1.74 लाख क्विंटल राष्ट्रीय बीज भंडार के रूप में आरक्षित रखे हैं।

iv. फसल विविधता को बढ़ावा देने, कम अवधि वाली और सूखा-सहिष्णु (ड्रॉट-टॉलरेंट) फसल किस्मों को बढ़ावा देने, उर्वरकों के संतुलित उपयोग, जल संरक्षण पद्धतियों, सूक्ष्म सिंचाई, मल्चिंग, अंतरफसल खेती और अन्य जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों की पद्धतियाँ अपनाने पर विशेष ज़ोर दिया गया है।

v. 1 से 30 जून, 2026 के दौरान राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें 80,67,300 किसानों ने 1,14,567 कार्यक्रमों में भाग लिया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना, कुशल सिंचाई प्रणाली और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि पद्धतियों को लागू करना था। साथ ही, संवेदनशील जिलों में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का एक व्यापक सैचुरेशन ड्राइव भी आयोजित किया जा रहा है।

vi. सरकार खरीफ 2016 से उपज आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) का कार्यावन्यन कर रही है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से होने वाले फसल नुकसान के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और इसके माध्यम से कृषि आय को स्थिर करना है। पीएमएफबीवाई व्यापक और स्थानीय जोखिमों के लिए बुआई से पूर्व से लेकर फसलोपरांत तक व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करती है। ये योजनाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और किसानों के लिए स्वैच्छिक हैं, और इनका कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित जिलों और फसलों के आधार पर किया जाता है। चिह्नित संवेदनशील जिलों में बीमा कवरेज बढ़ाने के लिए जागरूकता और नामांकन अभियान भी आयोजित किए जा रहे हैं।

vii. केंद्रीय जल आयोग और राज्य सरकारों को जलाशय के पानी के अधिकतम उपयोग के लिए पूर्व योजना बनाने और कुशल सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) जैसी कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। ग्रामीण विकास विभाग, विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी जी राम जी) निधि का उपयोग जल संरचनाओं - जैसे कि खेत में तालाब, चेक डैम, नहरों से गाद हटाने और बोरी बंधन - के पुनरुद्धार के लिए कर रहा है ताकि प्रारंभिक या अवशेष वर्षा की प्रत्येक बूंद को संचित किया जा सके। इसके अलावा, जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों के रूप में, विभाग विभिन्न योजनाओं का भी कार्यान्वयन कर रहा है, अर्थात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), एकीकृत तिलहन योजना मिशन, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और देश भर में कार्यान्वित किए जा रहे अन्य कार्यक्रम।

(ख): इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत बीमा दावों के निपटान में लगने वाले औसत समय के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकांश दावों का निपटान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के प्रचालन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर अर्थात संबंधित राज्य सरकार से बीमा कंपनियों द्वारा आवश्यक उपज डेटा प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर कर दिया जाता है। तथापि, पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन के दौरान, कुछ दावे मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से लंबित रह जाते हैं:

- दावों में राज्य सरकार के शेयर का देरी से प्रदान किया जाना।
- बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/देरी से प्रस्तुत करना और पंजीकृत किसानों के बैंक खातों के विवरण का सत्यापन न होना।
- उपज के आंकड़ों में विसंगति और परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद आदि।

इन मुद्दों के कारण लंबित दावों का निपटारा योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार उनके समाधान के बाद किया जाता है।

(ग) और (घ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, अधिसूचित आपदाओं की स्थिति में जमीनी स्तर पर आवश्यक राहत उपाय उपलब्ध कराने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। राज्य सरकारें अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) के रूप में उपलब्ध निधि से प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत उपाय करती हैं। एसडीआरएफ के अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में विचाराधीन होती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर आकलन शामिल होता है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता वास्तविक/दावा किए गए नुकसान के मुआवजे के रूप में न होकर राहत के रूप में प्रदान की जाती है।

गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2026-27 से 2030-31 के दौरान राज्यवार एसडीआरएफ (सोलहवें वित्त आयोग के अंतर्गत) के तहत फंड आवंटन का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 11.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3907 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्यवार वार्षिक एसडीआरएफ आवंटन

(रुपये करोड़ में)

राज्य	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	कुल
आंध्र प्रदेश	1,182	1,241	1,303	1,368	1,439	**6,533**
अरुणाचल प्रदेश	99	104	109	114	121	**547**
असम	843	885	929	975	1,028	**4,660**
बिहार	2,628	2,759	2,897	3,042	3,196	**14,522**
छत्तीसगढ़	479	503	528	554	582	**2,646**
गोवा	22	23	24	25	25	**119**
गुजरात	1,633	1,715	1,801	मैं, 891	1,982	**9,022**
हरियाणा	564	592	622	653	686	**3,117**
हिमाचल प्रदेश	431	453	476	500	524	**2,384**
झारखंड	542	569	597	627	658	**2,993**
कर्नाटक	1,239	1,301	1,366	1,434	1,507	**6,847**
केरल	374	393	413	434	450	**2,064**
मध्य प्रदेश	2,258	2,371	2,490	2,615	2,743	**12,477**
महाराष्ट्र	5,718	6,004	6,304	6,619	6,952	**31,597**
मणिपुर	42	44	46	48	50	**230**
मेघालय	70	74	78	82	84	**388**
मिजोरम	46	48	50	53	55	**252**
नागालैंड	66	69	72	76	79	**362**
ओडिशा	1,718	1,804	1,894	1,989	2,088	**9,493**
पंजाब	478	502	527	553	582	**2,642**
राजस्थान	1,778	1,867	1,960	2,058	2,162	**9,825**
सिक्किम	73	77	81	85	88	**404**
तमिलनाडु	1,638	1,720	1,806	1,896	1,991	**9,051**
तेलंगाना	536	563	591	621	648	**2,959**
त्रिपुरा	57	60	63	66	70	**316**
उत्तर प्रदेश	2,957	3,105	3,260	3,423	3,597	**16,342**
उत्तराखंड	797	837	879	923	967	**4,403**
पश्चिम बंगाल	1,326	1,392	1,462	1,535	1,611	**7,326**
कुल	**29,594**	**31,075**	**32,628**	**34,259**	**35,965**	**1,63,521**

स्रोत: गृह मंत्रालय
